फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

वादी– लालचन्द

केस संख्या : 177 / 2017

प्रतिवादी– तहसीलदार फागी

वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17.05.2018		

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील वादी उप0। तहसीलदार फागी की ओर से पैरोकार राज0 उप0।

वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी खसरा नंबर 1848 / 6 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा ग्राम नारायणपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में 15 / 31 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम गौरीलाल दर्ज है जबकि वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम म्होरूराम है, वादी के पिता के पहचान के दस्तावेजो में भी म्होरूराम दर्ज है। इस कारण वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम गौरीलाल के स्थान पर म्होरूराम दर्ज किया जावे।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह कथन किये है कि वादी का नाम विरासत द्वारा लालचंद पुत्र गौरीलाल जाति बैरवा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड मे लालचंद पुत्र म्होरू है। वादी लालचंद पुत्र गौरीलाल के बजाय लालचंद पुत्र म्होरूराम करवाना चाहता है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध पहचान दस्तावेजात, ग्राम पंचायत पहाडिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 03.08.2018, शपथ पत्र सुरेश कुमार, जगदीश व लालचंद एवं तहसीलदार फागी की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पहचान दस्तावेज वोटर आई.डी., प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पहाडिया साबित पाया जाता है कि वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम म्होरूराम है।

पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन पश्चात वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 1848 / 6 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा ग्राम नारायणपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज लालचन्द पुत्र गौरीलाल को हजफ किया जाकर इसके स्थान पर लालचन्द पुत्र म्होरूराम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पहाडिया में सुनाया गया।

([illegible] गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी

Scanned by CamScanner